


श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जांबनेर को प्रेषित की / जाती है।

3/11/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 11/01/23 को पेश हो।

11/01/23

पत्रावली पेश हुई। जादीया एवं वादिया आधिकार्य को दिनांक 12/01/2019 से जर्नली सं-1 के कारिसान जर्नली सं- 1/1 लगाना 1/9 की बलबी हेतु बलबाना जर्नल को हेतु निरन्तर अवसर दिना गमा। पत्रावली जादी आधिकार्य द्वारा निरन्तर अवसर दिने जाने के उपरान्त भी बलबाना सम्मान पेश नहीं किये जाते। वादिया एवं उनके आधिकार्य को पेश होवे हेतु एवं बलबाना सम्मान पेश कते हेतु - प्राप्ति में बा. बा. आवाजे लगवाई गई, पत्रावली न्यायालय में वादिया एवं उनके आधिकार्य उपस्थित नहीं हुई। अतः न्यायालय आदेश की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण जर्नल जर्नल साधित की के आदेश 9 निम्न 5 के अन्तर्गत वादिया का जर्नल - फल जोरि किये जात है। निम्न जर्नल न्यायालय में पुनर्पत्रावली कसल शुमा होकर नम्बर से कस हो और वादिया रफ्तार हो।


11/01/2023